

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एस-343/86)/अलेसे-11/

दिनांक :- 19/01/2017

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 3 (ख)/(एस-343/86) / अलेसे-11 / 22008-22019 दिनांक 20.10.2015 के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, स.ले.अ.-II (लिनक नं. 6344) को रिश्त लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 07.10.2015 को ट्रेप करने एवं न्यायिक अभिरक्षा में लेने के कारण दिनांक 07.10.2015 से निलंबित किया जाकर निलंबन काल में मुख्यालय कोषालय, चित्तौडगढ़ किया गया था। श्री शर्मा का मुख्यालय कोषालय, चित्तौडगढ़ के स्थान पर उपकोष, केकडी (अजमेर) किया जाता है।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एस-343/86)/अलेसे-11/1877 दिनांक :- 19/01/2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिरीक्षक, पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम।
4. कोषाधिकारी, चित्तौडगढ़।
5. उपकोषाधिकारी, केकडी (अजमेर)।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, निलंबित स.ले.अ. ग्रेड-II, कार्यालय कोषालय, चित्तौडगढ़।
8. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने/पी.आई.एस इन्द्राज हेतु।
9. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)